Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमन्द में हैड कानिस्टेबल 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *24 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा प्रथम इकाई द्वारा आज गुरूवार को राजसमन्द में कार्यवाही करते हुये ओंकार सिंह हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना दिवेर, राजसमन्द को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के रेत के ट्रैक्टरों को नहीं पकड़ने की एवज में ओंकार सिंह हैड कानिस्टेबल, पुलिस चौकी कुंआथल, पुलिस थाना दिवेर, राजसमन्द द्वारा मासिक बन्धी के रूप 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भीलवाड़ा प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोलाराम यादव** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती दीपिका राठौड़** एवं उनकी टीम द्वारा राजसमन्द में ट्रेप कार्यवाही करते हुये ओंकार सिंह पुत्र श्री पंचमसिंह रावत निवासी मालातों की बैर, पुलिस थाना टाटगढ़, जिला अजमेर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस चौकी कुंआथल, पुलिस थाना दिवेर, राजसमन्द को परिवादी से **5 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 2 हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।